

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

राहुल

बनाम

महेन्द्रसिंह

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

नम्बर 47 सन-2021

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए

08.04.2021

प्रार्थी/सायल की ओर से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण/गैरसायलान इस आशय की जारी की जाती है कि रोही मौजा चक 1 टीकेएम के खाता संख्या 17/18 की कुल 11.270 हैक् में से 95/2254 हिस्सा भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज में से सायल के हक हिस्सा भूमि की रिकार्ड की यथारिथति बनाई रखी जावे यदि इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निर्धारित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या बकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। खाला व रास्ता की भूमि पर स्थगन आदेश लागू नही होगा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कि या जावे अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 17.05.2021 को पेश हो।

सहायक क्लर्क एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

17-5-21

पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. राहुल

को पेश हो

20.7.21

22/5

~~पत्रावली प्रशासन मांयों के संग अभियान~~
~~जो गैरसायल की पक्ष में रजिस्ट्र~~
~~मामल के पत्रावली दिनांक 21/05/21~~
~~का पत्रावली~~

पत्रावली प्रशासन मांयों के संग अभियान
 22/5/2021 के पत्रावली में पेश हो।

21 ¹⁰/₂₁

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान

2021 कैम्प १५/१२/२१

..... का हिस्सा हुई राजीनामा पेश नहीं।

..... उभयपक्ष उपस्थित नहीं।

दिनांक 27/01/22 को पेश हो ~~हू~~

पत्रावली पेश करने वाले मण्डल अजमेर

की कोर्ट के मध्यनजर

पत्रावली का ~~संख्या~~

दिनांक 12/5/22 को पेश हो ~~हू~~

23/2/22

~~वकील सायब व निरंजन पर
पत्रावली पेश की गई
वकील सायब व निरंजन विरा
की वह भाग प्राप्त नहीं
चापाक वरिष्ठ एडवोकेट
सायब व निरंजन
विरा वरिष्ठ विरा सायब व
पत्रावली दाखिल नहीं~~

उपरि अधिकारी
नोहर